

राजस्थान सरकार,
परिवहन विभाग

क्रमांक प.7(38)(604)परि/नियम/मु./2019/1111

जयपुर, दिनांक : 30/12/19

समस्त,
प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,
----- |

विषय:- पेट्रोल चलित वाहनों जो वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे हैं, में CNG Kit के पुनः फिटमेन्ट, की अनुमति देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वर्तमान में चल रहे चौपहिया वाहन एवं तिपहिया वाहन में "मैसर्स Motozen Fuel Systems को पुनः फिटमेन्ट किये जाने की अनुमति दी जाती है। इस प्रयोजनार्थ उक्त CNG Kit के निर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115B एवं 126 के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये हैं। उक्त CNG Kit को लगाने के लिए निम्नलिखित वाहन/मॉडल हेतु फर्म द्वारा ले-आउट (Layout) प्लान केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत वर्णित टैस्ट ऐजेन्सी से प्राप्त कर लिये हैं।

"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Year of Manufacturer	Type Approval Certificate No. & Date
Honda Jazz	1198	November-2010	CAMA 0292 Dt. 27-12-2017

	"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Vintage of Vehicle	Type Approval Certificate No. & Date
1	CHEVROLET AVEO	1399	Vehicle manufactured from 01.04.2010 till 31.03.2013	CAMA 0292 L01 Dt. 23-01-2018
2	CHEVROLET AVEO U-VA	1150		
3	CHEVROLET BEAT	1199		
4	CHEVROLET SPARK	995		
5	FIAT GRAND PUNTO 1.2	1172		
6	FIAT GRAND PUNTO 1.4	1368		
7	FIAT LINEA	1368		
8	FIAT PALIO STILE 1.1	1108		
9	FORD FIGO	1196		
10	HONDA AMAZE	1198		
11	HONDA BRIO	1198		
12	HONDA CITY	1497		
13	HYUNDAI ACCENT	1495		
14	HYUNDAI GETZ 1.1	1086		
15	HYUNDAI GETZ 1.3	1341		
16	HYUNDAI i10 1.2	1197		

17	HYUNDAI i10 1.1	1086	Vehicle manufactured from 01.04.2010 till 31.03.2013	CAMA 0292 L01 Dt. 23-01-2018
18	HYUNDAI i20 1.2	1197		
19	HYUNDAI i20 1.4	1396		
20	HYUNDAI SANTRO XING	1086		
21	HYUNDAI VERNA FLUIDIC 1.4	1396		
22	MAHINDRA LOGAN	1390		
23	MAHINDRA VERITO	1390		
24	MARUTI A STAR	998		
25	MARUTI ALTO K10	998		
26	MARUTI EECO (5 Seater)	1196		
27	MARUTI EECO (7 Seater)	1196		
28	MARUTI ERTIGA	1373		
29	MARUTI RITZ	1197		
30	MARUTI SWIFT	1197		
31	MARUTI SWIFT DZIRE	1197		
32	MARUTI WAGON R	998		
33	MARUTI ZEN ESTILO	998		
34	NISSAN MICRA	1198		
35	RENAULT PULSE	1198		
36	SKODA FABIA	1198		
37	TATA INDICA VISTA	1172		
38	TATA INDIGO ECS	1193		
39	TATA MANZA	1368		
40	TOYOTA ETIOS	1496		
41	TOYOTA ETIOS LIVA	1197		
42	VOLKSWAGEN POLO	1198		

"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Year of Manufacturer	Type Approval Certificate No. & Date
Maruti Swift Vx	1298	July-2005	CAMA 0291 Dt. 27-12-2017

	"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Vintage of Vehicle	Type Approval Certificate No. & Date
1	CHEVROLET AVEO	1399	Vehicle manufactured from 01.01.2005 till the validity of Bharat Stage III norms	CAMA 0291 L01 Dt. 23-01-2018
2	CHEVROLET AVEO	1598		
3	CHEVROLET AVEO U-VA	1150		
4	CHEVROLET BEAT	1199		
5	CHEVROLET OPTRA MAGNUM 1.6	1598		
6	CHEVROLET SPARK	995		
7	FIAT ADVENTURE	1596		
8	FIAT PALIO STILE	1596		
9	FORD FIESTA 1.4	1398		
10	FORD FIESTA 1.6	1596		

11	FORD IKON 1.3	1299	Vehicle manufactured from 01.01.2005 till the validity of Bharat Stage III norms	CAMA 0291 L01 Dt. 23-01-2018
12	FORD IKON 1.6	1597		
13	HONDA CITY	1497		
14	HYUNDAI ACCENT	1495		
15	HYUNDAI ACCENT VIVA	1599		
16	HYUNDAI GETZ	1341		
17	HYUNDAI i10 1.1	1086		
18	HYUNDAI i10 1.2	1197		
19	HYUNDAI i20	1197		
20	HYUNDAI SANTRO	1086		
21	HYUNDAI SANTRO XING	1086		
22	HYUNDAI VERNA	1599		
23	MAHINDRA LOGAN	1598		
24	MARUTI ASTAR	998		
25	MARUTI ASTAR	1061		
26	MARUTI BALENO	1590		
27	MARUTI EECO (5 Seater)	1196		
28	MARUTI EECO (7 Seater)	1196		
29	MARUTI ESTEEM	1298		
30	MARUTI RITZ	1197		
31	MARUTI SWIFT DZIRE	1298		
32	MARUTI SX4	1586		
33	MARUTI VERSA (8 Seater)	1298		
34	MARUTI VERSA (5 Seater)	1298		
35	MARUTI WAGON R	1061		
36	MARUTI ZEN	993		
37	MARUTI ZEN ESTILO	1061		
38	MITSUBISHI LANCER	1468		
39	OPEL CORSA	1389		

1. इन वाहनों में उक्त CNG Kit लगाने के समय मोटर वाहन अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989, एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
2. उक्त वाहन मॉडल में CNG Kit लगाने की अनुमति टाइप अप्रुवल टेस्ट सर्टिफिकेट (Type Approval Test Certificate) के साथ सलग्न (Annexure) में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जाती है। इन शर्तों का सख्ती से पालना की जावे।
3. वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे वाहनों में CNG Kit का पुनः Fitment, Kit विनिर्माता/Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत कार्याशालाओं में ही किया जावेगा। इस प्रायोजनार्थ Kit विनिर्माता/Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता CNG Kit लगाने वाले प्राधिकर्ता (Installer) को एक Authorisation सर्टिफिकेट जारी करेंगे। उक्त प्राधिकर्ताओं (Installer) की सूची सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय को दी जावेगी।

4. केवल इन्हीं अधिकृत वर्कशॉप में किये गये CNG Kit के पुनः Fitment को मान्यता दी जाकर पंजीयन अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में वाहन के पंजीयन पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि/परिवर्तन किये जा सकेंगे। पंजीयन पुस्तिका में प्रविष्टि के समय पंजीयन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि CNG Kit के सिलेण्डर (Gas cylinder) नम्बर का अंकन वाहन की पंजीयन पुस्तिका, पंजीयन रिकॉर्ड एवं परिवहन वाहन के केस में इसके अतिरिक्त फिटनेस प्रमाण पत्र में भी प्रविष्टि का अंकन किया जावे।
5. वाहन स्वामी को अपने वाहन में CNG Kit पुनः Fitment, लगाने से पूर्व सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से उक्त परिवर्तन की अनुमति मोटर वाहन अधिनियम 1988, की धारा 52 के तहत प्राप्त करनी होगी। CNG Kit पुनः Fitment कर्ता (Installer) Kit लगाने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन स्वामी द्वारा उक्त परिवर्तन की अनुमति सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से प्राप्त कर ली गई है तथा उक्त परिवर्तन का इन्द्राज वाहन पंजीयन पुस्तिका में वाहन स्वामी को प्राप्त अनुमति के 14 दिवस के अन्दर-अन्दर करवाना होगा।
6. वाहन का टाइप अप्रुवल टैस्ट सर्टिफिकेट मूल टाइप अप्रुवल टैस्ट सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि से तीन वर्ष अथवा नियमों में परिवर्तन जो भी पहले हो तक के लिए ही वैध है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

30/12/19
(विनोद कुमार)
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

क्रमांक प.7(38)(६०५)परि/नियम/मु./2019/1112-14

जयपुर, दिनांक : 30/12/19

प्रतिलिपि:-

1. M/s. Motozen Fuel System., Dahiya Greens, Sec-17-18 Dividing Road, Opp Green Park, Gurgaon-122007 को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. Analyst cum Programmer परिवहन मुख्यालय ।
3. N.I.C. Computer Section परिवहन मुख्यालय ।

sd -
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

राजस्थान सरकार,
परिवहन विभाग

क्रमांक प.7(38)(604)परि/नियम/मु./2019/1167

जयपुर, दिनांक : 10/01/2020

समस्त,
प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,

विषय:- पेट्रोल चलित वाहनों जो वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे हैं, में CNG Kit के पुनः फिटमेन्ट, की अनुमति देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वर्तमान में चल रहे चौपहिया वाहन एवं तिपहिया वाहन में "मैसर्स Motozen Fuel Systems को पुनः फिटमेन्ट किये जाने की अनुमति दी जाती है। इस प्रयोजनार्थ उक्त CNG Kit के निर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115B एवं 126 के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये हैं। उक्त CNG Kit को लगाने के लिए निम्नलिखित वाहन/मॉडल हेतु फर्म द्वारा ले-आउट (Layout) प्लान केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत वर्णित टैस्ट ऐजेन्सी से प्राप्त कर लिये हैं।

"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Make of Vehicle	Type Approval Certificate No. & Date
Honda Brio	1198	May-2013	CAMA 0076 Dt. 31-03-2018

	"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Vintage of Vehicle	Type Approval Certificate No. & Date
1	CHEVROLET BEAT	1199	Vehicle manufactured from 01.04.2013 till the validity of Bharat Stage IV norms	CAMA 0076 L01 Dt. 07-04-2017
2	CHEVROLET ENJOY	1399		
3	CHEVROLET SAIL (HATCHBACK)	1199		
4	CHEVROLET SAIL (SEDAN)	1199		
5	CHEVROLET SPARK	995		
6	DATSUN GO	1198		
7	DATSUN GO PLUS	1198		
8	FIAT AVVENTURA	1368		
9	FIAT LINEA	1368		
10	FIAT PUNTO EVO 1.2	1172		
11	FIAT PUNTO EVO 1.4	1368		
12	FORD ECOSPORT	999		
13	FORD FIGO	1196		
14	FORD ASPIRE	1196		
15	HONDA AMAZE	1198		
16	HONDA CITY	1497		
17	HONDA JAZZ	1198		
18	HONDA MOBILIO	1497		
19	HYUNDAI i20 ELITE	1197		
20	HYUNDAI EON KAPPA MAGNA	998		
21	HYUNDAI GRAND i10	1197		
22	HYUNDAI i10 1.1	1086		

23	HYUNDAI i10 1.2	1197	Vehicle manufactured from 01.04.2013 till the validity of Bharat Stage IV norms	CAMA 0076 L01 Dt. 07-04-2017
24	HYUNDAI i20 ACTIVE	1197		
25	HYUNDAI i20 MAGNA	1197		
26	HYUNDAI VERNA FLUIDIC 1.4	1396		
27	HYUNDAI XCENT	1197		
28	HYUNDAI SANTRO	1086		
29	HYUNDAI SANTRO XING	1086		
30	MAHINDRA KUV 100	1198		
31	MAHINDRA VERITO	1390		
32	MARUTI ASTAR	998		
33	MARUTI ALTO K10	998		
34	MARUTI BALENO	1197		
35	MARUTI CELERIO	998		
36	MARUTI CIAZ	1373		
37	MARUTI EECO (5 Seater)	1196		
38	MARUTI EECO (7 Seater)	1196		
39	MARUTI EECO CARGO	1196		
40	MARUTI ERTIGA	1373		
41	MARUTI RITZ	1197		
42	MARUTI SWIFT	1197		
43	MARUTI SWIFT DZIRE	1197		
44	MARUTI WAGON R	998		
45	MARUTI WAGON R STINGRAY	998		
46	MARUTI ZEN ESTILO	998		
47	MARUTI GYPSY	1298		
48	MARUTI IGNIS	1197		
49	NISSAN MICRA	1198		
50	NISSAN MICRA ACTIVA	1198		
51	RENAULT KWID	999		
52	RENAULT PULSE	1198		
53	SKODA FABIA	1198		
54	SKODA OCTAVIA	1395		
55	SKODA RAPID 1.2	1198		
56	TATA BOLT	1193		
57	TATA INDIGO eCS	1193		
58	TATA MANZA	1368		
59	TATA TIAGO	1199		
60	TATA INDICA VISTA	1172		
61	TATA INDICA XETA	1193		
62	TATA ZEST	1193		
63	TATA ZICA	1199		
64	TOYOTA ETIOS	1496		
65	TOYOTA ETIOS CROSS G	1197		
66	TOYOTA ETIOS CROSS V	1496		
67	TOYOTA ETIOS LIVA	1197		
68	VOLKSWAGEN CROSS POLO	1198		
69	VOLKSWAGEN AMEO	1198		
70	VOLKSWAGEN JETTA	1390		
71	VOLKSWAGEN POLO	1198		
72	VOLKSWAGEN VENTO	1197		

1. इन वाहनों में उक्त CNG Kit लगाने के समय मोटर वाहन अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989, एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
2. उक्त वाहन मॉडल में CNG Kit लगाने की अनुमति टाइप अप्रुवल टैस्ट सर्टिफिकेट (Type Approval Test Certificate) के साथ सलग्न (Annexure) में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जाती है। इन शर्तों का सख्ती से पालना की जावे।
3. वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे वाहनों में CNG Kit का पुनः Fitment, Kit विनिर्माता/Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत कार्याशालाओं में ही किया जावेगा। इस प्रायोजनार्थ Kit विनिर्माता/Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता CNG Kit लगाने वाले प्राधिकर्ता (Installer) को एक Authorisation सर्टिफिकेट जारी करेंगे। उक्त प्राधिकर्ताओं (Installer) की सूची सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय को दी जावेगी।
4. केवल इन्हीं अधिकृत वर्कशॉप में किये गये CNG Kit के पुनः Fitment को मान्यता दी जाकर पंजीयन अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में वाहन के पंजीयन पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि/परिवर्तन किये जा सकेंगे। पंजीयन पुस्तिका में प्रविष्टि के समय पंजीयन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि CNG Kit के सिलेण्डर (Gas cylinder) नम्बर का अंकन वाहन की पंजीयन पुस्तिका, पंजीयन रिकॉर्ड एवं परिवहन वाहन के केस में इसके अतिरिक्त फिटनेस प्रमाण पत्र में भी प्रविष्टि का अंकन किया जावे।
5. वाहन स्वामी को अपने वाहन में CNG Kit पुनः Fitment, लगाने से पूर्व सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से उक्त परिवर्तन की अनुमति मोटर वाहन अधिनियम 1988, की धारा 52 के तहत प्राप्त करनी होगी। CNG Kit पुनः Fitment कर्ता (Installer) Kit लगाने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन स्वामी द्वारा उक्त परिवर्तन की अनुमति सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से प्राप्त कर ली गई है तथा उक्त परिवर्तन का इन्द्राज वाहन पंजीयन पुस्तिका में वाहन स्वामी को प्राप्त अनुमति के 14 दिवस के अन्दर-अन्दर करवाना होगा।
6. वाहन का टाइप अप्रुवल टैस्ट सर्टिफिकेट मूल टाइप अप्रुवल टैस्ट सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि से तीन वर्ष अथवा नियमों में परिवर्तन जो भी पहले हो तक के लिए ही वैध है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(विनोद कुमार)
10/1/2020

संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

क्रमांक प.7(38)(604)परि/नियम/मु./2019/1168-70

जयपुर, दिनांक : 10/01/2020

प्रतिलिपि:-

1. M/s. Motozen Fuel System., Dahiya Greens, Sec-17-18 Dividing Road, Opp Green Park, Gurgaon-122007 को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. Analyst cum Programmer परिवहन मुख्यालय।
3. N.I.C. Computer Section परिवहन मुख्यालय।

(संयुक्त परिवहन आयुक्त)
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)